यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाध्यापक रा उ मा विद्यालय रुद्रपुर देहारादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाध्यापक रा उ मा विद्यालय रुद्रपुर देहारादून के माह 04/2013 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि प्रकाश पाठक व श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10.2017 से 13.10.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला, देहारादून

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14			43.06	35.06	0.98	0.95	8.03	
2014-15	-	-	40.65	38.00	1.16	1.13	2.68	-
2015-16	-	-	60.76	55.57	0.48	0.44	5.23	-
2016-17	-	-	67.01	61.80	3.48	3.48	5.21	-
2017-18			55.89	37.03	0.60	0.45	19.01	

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः ---

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन <u>राज्य सरकार</u> द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '<u>सी</u>' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव
महानिदेशक
निदेशक
अपर/उप निदेशक
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
खंड शिक्षा अधिकारी
प्रधानाध्यापक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में <u>वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा</u> को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाध्यापक रा उ मा विद्यालय रुद्रपुर देहारादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 04/2014,11/2015,02/2016,12/2016,06/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग -दो (अ)</u>

प्रस्तर 1:- सेवानिवृतिक लाभों के रूप मे धनराशि रुपए **4,49,666**/- का अतिरिक्त एवं अनियमित भुगतान|

राज्य मे छात्र हितो हेतु शैक्षिक सत्र के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से शिक्षको को सत्रांत लाभ प्रदान कर (यदि कोई शिक्षक, शैक्षिक सत्र प्राम्भ होने के उपरांत सेवानिवृत हो रहा हो तो उसे उस गतिमान शैक्षिक सत्र के समापन तक) शैक्षिक सत्र का सफलतापूर्वक समापन कराया जाता है।

शासन द्वारा सत्रांत लाभ के संबंध मे निम्न शासनादेश निर्गत किए गए है:

1. शासनादेश संख्या 329/XXIV-2/10-09(11)/2008 दिनांक 08/04/2011, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयो/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयो मे कार्यरत शिक्षको को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के उपरांत शैक्षिक सत्र के अंत तक सत्रांत लाभ दिये जाने के संबंध मे है। जिसमे शैक्षिक संस्थानो मेँ कार्यरत ऐसे अध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य जो शैक्षिक सत्र के मध्य मे अधिवर्षता आयु पूर्ण कर रहे हों, को निम्नांकित शर्तों के आधार पर पूर्व कि भांति सत्रांत लाभ दिये जाने कि स्वीकृति प्रदान कि जाती है

1) सेवा काल मे संबंधित अध्यापक /प्राध्यानअध्यापक /प्रधानाचर्य का कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो तथा कोई प्रतिकूल तथ्य न हो
2) शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो
3) वह वास्तव मे कोई विषय नियमित रूप से पढ़ाता हो

3. उक्त के संबंध मे किसी अध्यापक/प्रधानाध्यापक /प्रधानाचार्य को स्वत: सत्रांत लाभ देय नहीं होगा, अपितु सत्र लाभ लिए जाने हेतु संबंधित कार्मिक द्वारा लिखित सूचना /आवेदन पत्र अपनी अधिवर्षता आयु क तिथि से तीन माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ,तथा ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाए, जिससे उन्हे अनायास ही 31 मार्च तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल जाए | शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया की शिक्षा विभाग में श्रेणी -2 से नीचे के पदों पर कार्यरत आध्यापक /प्रधानाध्यापक के सेवा विस्तरण के मामलों पर विचार एवं उपयुक्त निर्णय के लिए संबन्धित पद के नियुक्ति अधिकारी सक्षम होंगे तथा शेष के संबंध मे शासन की सहमति अपेक्षित होगी

4. उक्त व्यवस्था वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम 56(क) में संशोधन के विषय मे व्यवस्था निर्गत करने की तिथि से ही लागू होगी।

2. शासनादेश संख्या 848 /xxiv-2/12/9(11)/2008 दिनांक 20 सितंबर 2011 जो की शासनादेश संख्या 329/xxvii-2/11-911/2008 दिनांक 08 अप्रैल 2011 के प्रस्तर -4 के संशोधन से संबंधित है। प्रस्तर 4 मे व्यवस्था है कि वित्त विभाग , उत्तराखंड शासन के द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खंड 2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम 56(क) में संशोधन के विषय मे व्यवस्था निर्गत करने की तिथि से ही लागू होगी।

उक्त प्रस्तर 4 को संशोधित करते हुए कहा गया है कि मूल नियम 56 (क) मे वित्त विभाग द्वारा यथासमय संशोधन किया जाएगा।

3. शासनादेश संख्या 376/xxiv-2/12/9(11)/2008 दिनांक 01 जून 2012 जो की शासनादेश संख्या 848 दिनांक 20 सितंबर, 2011 मेँ उल्लिखित शासनादेश संख्या 329/xxvii-2/11-911/2008 दिनांक 08 अप्रैल 2011 के प्रस्तर -3 के सरलीकरण से संबंधित है| प्रस्तर-3 मेँ यह व्यवस्था है कि किसी अध्यापक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को स्वतः सत्रांत लाभ देय नहीं होगा अपितु सत्र लाभ दिये जाने हेतु संबंधित कार्मिक द्वारा लिखित सूचना / आवेदन पत्र अपनी अधिवर्षिता आयु कि तिथि से 03 माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा |

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 को संशोधित करते हुये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों / शासन द्वारा सहायता प्राप्त आशासकीय विद्यालयों / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों / प्राथमिक विद्यालयों मेँ शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च होता है | अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने वाले समस्त अध्यापक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्र के अंतिम कार्य दिवस से पूर्व, सत्रांत लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा |

(1) आवेदन पत्र के साथ ही चिकित्सा प्रमाण पत्र साथ मेँ देना अनिवार्य होगा |
(2) शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र सत्रांत लाभ मेँ कार्यभार ग्रहण करते समय भी जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा |

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा इस संबंध में जून 2012 मेँ अधिसूचना जारी की गयी:

"वित्त विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 07 दिनांक 6/06/2012 के स्तम्भ 2 नियम 56 (क) मे स्पष्ट लिखा है की प्रत्येक सरकारी सेवक उस मास मे जिसमे वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करे अंतिम दिन अपराह्न मे सेवानिवृत होगा, परंतु यदि किसी

सरकारी सेवक की जन्मतिथि किसी मास के प्रथम दिवस को हो तो वह पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा और ऐसे सरकारी सेवा की सेवानिवृत्ति की तिथि पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिवस को होगी तथा यदि किसी सरकारी सेवक की जन्मतिथि प्रथम तिथि से भिन्न हो तो वह उस मास के पूर्ववर्ती दिवस को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा और उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि उस मास के अंतिम दिवस होगी, परंतु यह और की विद्यालयी शिक्षा विभाग हेतु अधिकतम 11 माह का सेवा विस्तार ऐसे पदो पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को अनुमन्य होगा जो अध्यापन कार्य मे निरंतर संलग्न हो, किन्तु श्रेणी 2 से नीचे के पदो पर कार्यरत अध्यापक/प्रधानाध्यापक के सेवा विस्तारण के मामले पर विचार एवं उपर्युक्त निर्णय के लिए संबन्धित पद के नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम होंगे तथा शेष के संबंध मे शासन की सहमति अपेक्षित होगी, परंतु यह भी की राज्य मे संचालित मेडिकल कॉलेजो मे संकाय सदस्यो की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष होगी "

उक्त अधिसूचना के क्रम में शासन द्वारा सत्रांत लाभ के संबंध मे निम्नलिखित शासनादेश भी जारी किया गया जो निम्नवत है:

शासनादेश संख्या- 208/xxiv-नवसृजित/2017-09(11)/2008 दिनांक 3.08.2017 के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयो के शिक्षकों को अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के उपरान्त सत्रांत लाभ के संबंध में अधिसूचना संख्या-07/xxvii(7)54/2012 दिनांक 06.06.2012 मे स्थापित व्यवस्था स्वतः स्पष्ट है । इसके अतिरिक्त सत्रांत की अवधि में सेवानिवृतिक लाभ एवं वार्षिक वृद्धि हेतु गणना में नहीं लिया जाएगा और न ही उपार्जित अवकाश हेतु इसकी गणना की जाएगी।

साथ ही यहाँ यह भी ध्यातव्य है की शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या -885/xxiv -2/2005 दिनांक 29.08.2005 के माध्यम से "राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त बेसिक/माध्यमिक विद्यालयो के अध्यापको को 2 वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार का लाभ "(जो की शिक्षण के क्षेत्र मे विशिष्ट एवं उत्कृष्ट योगदान/अध्यापन करने वाले शिक्षको को प्राप्त होता है) संबंधी शासनादेश मे स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है की अतिरिक्त सेवा की अवधि का लाभ सेवानिवृतिक लाभ के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर, देहारादून के कर्मचारियो/अधिकारियों जो कि लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत अथवा उसके निकट भविष्य मे सेवानिवृत हुए/होने वाले है से संबन्धित अभिलेखो की लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि श्री भरोसी लाल बर्थवाल, प्रधानाध्यापक (सेवानिवृत) जिनकी सेवानिवृति दिनांक 31.07.2015 थी को शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा ,उत्तराखंड

ननूरखेरा देहरादून के आदेश संख्या – सेवाए-1/374/2(3) स ला -2/2015-16 दिनांक 27/07/2015 के माध्यम से सत्रांत (31/3/2016) तक सेवा विस्तार प्रदान किया गया था, जिसमे शासन द्वारा निर्गत आदेशो यथा शासनादेश संख्या 329 दिनांक 3/04/2011 , 848 दिनांक 20/09/2011 एवं 376 दिनांक 1/06/2012 के अधीन सेवानिवृति (अधिवर्षिता) आयु प्राप्त करने के उपरांत सत्रांत हेतु सेवा विस्तार दिया गया है।

श्री भरोसी लाल बर्थवाल, प्रधानाध्यापक (सेवानिवृत) को देय सेवानिवृतिक लाभों (यथा- पेंशन, उपादान, राशिकरण, अवकाश नगदीकरण, जीपीएफ़ आदि जो कि अधिवर्षिता/सेवानिवृति पर आगणित किए जाते है) के अभिलेखो मे पाया गया कि उक्त अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त होने वाले समस्त सेवानिवृतिक लाभ उनकी अधिवर्षिता आयु की दिनांक 31.07.2015 के आधार पर आगणित न करके, सत्रांत हेतु सेवा विस्तार तक की अवधि दिनांक 31.03.2016 को सेवानिवृति लाभों की गणना मे प्रयुक्त कर किए गए थे। जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारी को समस्त सेवानिवृतिक लाभ (यथा- पेंशन, उपादान, राशिकरण, अवकाश नगदीकरण) हेतु निम्नानुसार धनराशि रुपये 4,49,666/-[1] का अतिरिक्त भुगतान किया गया जो कि नियम विरुद है । (जिसकी सम्पूर्ण गणना संलग्नक - 1 मे दी गयी है)

इसके अतिरिक्त सेवानिवृतिक लाभों के संदर्भ मे जीपीएफ़ लेखे एवं अर्जित अवकाश संबंधी लेखो की जांच मे पाया गया की श्री भरोसी लाल बर्थवाल, प्रधानाध्यापक के जीपीएफ़ मासिक अभिदान की कटौती अधिवर्षिता आयु की तिथि से 4 माह पूर्व बंद कर दी गयी है न की सेवा विस्तार की अवधि से, इसी प्रकार अर्जित अवकाश की गणना भी अधिवर्षिता आयु तक ही की गयी है न की सेवा विस्तार की अवधि तक और उक्त दोनों का भुगतान भी अधिवर्षिता तिथि के अनुसार ही किया है जिससे स्पष्ट है की अधिवर्षिता आयु के आधार पर ही सेवानिवृतिक लाभों का भुगतान किया जाना चाहिए था न कि अधिवर्षिता के उपरांत सेवा विस्तार की अवधि को सेवानिवृति लाभों मे गणना मे प्रयुक्त करके। जिस प्रकार अर्जित अवकाश एवं जीपीएफ़ के संदर्भ मे किया गया है। अतः अन्य सेवानिवृतिक लाभों -पेंशन, उपादान, राशिकरण आदि के लिए किया गया समस्त अतिरिक्त भुगतान नियम विरुद्ध है ।

---

[1] पेंशन(**pension**) – प्रतिमाह 24,865/- का अतिरिक्त भुगतान दिनांक 1.04.2016 से लेखापरीक्षा अवधि 09/2017 तक (1.04.2016 से 30.09.2017 तक 18माह)= 397*18 =7,146/-

उपादान(**gratuity**) = 3,34,850/-

अवकाश नगदीकरण (**leave encashment)=** 1,07,670/-

कुल अतिरिक्त भुगतान = 4,49,666/-

उक्त अनियमित भुगतान धनराशि रुपए 4,49,666/- के संदर्भ मे इकाई से पूछे जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया एवं बताया गया की समस्त सेवानिवृति लाभ अधिवर्षिता की आयु पर ही दिये जाने चाहिये थे तथा तत्कालीन समस्त भुगतान मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के माध्यम से किए गए साथ ही यह भी बताया गया की अर्जित अवकाश का लेखा अधिवर्षिता आयु तक ही रखा जाता है एवं इसी प्रकार जीपीएफ़ की कटौती अधिवर्षिता आयु से पूर्व बंद कर दी जाती है एवं दोनों का भुगतान अधिवर्षिता तिथि के अनुसार ही किया गया है न की सेवा विस्तार की अवधि को सम्मिलित करके।

अतः धनराशि रुपए 4,49,666/- के अनियमित एवं अतिरिक्त भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग -दो (अ)

प्रस्तर 2- अपात्र को नियम विरूद्ध सत्रांत लाभ अनुमन्य कर धनराशि रु 10.28 लाख की शासकीय क्षति ।

"वित्त विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 7(54) दिनांक 06.06.2012 के अनुसार सत्रांत लाभ केवल उन्ही व्यक्तियों को अनुमन्य होगा जो निरंतर अध्यापन कार्य मे संलग्न हो एवं उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों के अनुसार ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन का कार्य न कर रहे हो, उनको सेवा के अंतिम वर्ष मे अध्यापन के कार्य मे बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाए जिससे उन्हे अनायास ही 31 मार्च तक सेवा मे बने रहने का लाभ मिल जाए"

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर के कर्मचारियो/अधिकारियों जो कि लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत अथवा उसके निकट भविष्य मे सेवानिवृति हुए/होने वाले है से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया की श्री भरोसी लाल बर्थवाल, प्रधानाध्यापक (सेवानिवृत) जिनकी सेवानिवृति दिनांक 31.07.2015 थी को शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा ,उत्तराखंड ननूरखेरा देहरादून के आदेश संख्या –सेवाए-1/374/2(3) स ला -2/2015-16 दिनांक 27/07/2015 के माध्यम से सत्रांत (31/3/2016) तक सेवा विस्तार प्रदान किया गया था, जिसमे शासन द्वारा निर्गत आदेशो यथा शासनादेश संख्या-329 दिनांक 3/04/2011, 848 दिनांक 20/09/2011 एवं 376 दिनांक 1/06/2012 के अधीन सेवानिवृति (अधिवर्षिता) आयु प्राप्त करने के उपरांत सत्रांत हेतु सेवा विस्तार दिया गया है।

विद्यालय की सत्रांत लाभ संबंधी पत्रावालियों मे पाया गया की श्री भरोसी लाल बर्थवाल द्वारा सत्रांत लाभ हेतु दिनांक 26.02.2015 को हिन्दी विषय के अध्यापन हेतु आवेदन किया गया था एवं दिनांक 27.07.2015 को सत्रांत लाभ अनुमन्य किया गया था।

आगे, श्री बर्थवाल कि सेवापुस्तिका कि जांच मे पाया गया कि श्री भरोसी लाल बर्थवाल द्वारा दिनांक 14.12.1979 को सर्वप्रथम सहायक अध्यापक (सामान्य) सीटी वेतन क्रम मे रा॰ऊ॰ मा विद्यालय रायवाला मे कार्यभार ग्रहण किया, उसके उपरांत दिनांक 27.12.1984 को उनकी पदोन्नति सहायक अध्यापक (अंग्रेजी) एलटी मे हुई और रा॰ऊ॰ मा विद्यालय मुंडेश्वर पौडी मे कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात दिनांक 11.02.1993 को इनको मौलिक रूप से प्रवक्ता (अंग्रेजी) के पद पर अस्थायी नियुक्ति देकर रा॰ई॰का त्युनी मे पदस्थ किया गया एवं आदेश

संख्या –रा शै /4488-96/94-95 दिनांक 25.06.94 को इनका स्थानांतरण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहारादून मे किया गया उसके उपरांत उपशिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल के आदेश संख्या प्रबंध-3/159/95-96 के क्रमांक 74 के अनुसार इनका प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर विनयमितकरण किया गया।

श्री भरोसी लाल बर्थवाल द्वारा दिनांक 01.01.1995 से 20.02.2015 तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहारादून मे अपनी सेवाए दी एवं आदेश स॰-सेवाए1/1201/2(3)/पदो/2014-15 दिनांक 6.02.2015 के अनुसार पददोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक के रूप मे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर मे दिनांक 21.2.2015 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

आगे विद्यालयी अभिलेखो मे पाया गया कि विद्यालय की कक्षा 9 कि वार्षिक परीक्षाओ का आयोजन दिनांक 23.02.2015 से एवं कक्षा 10 की परीक्षाये माह मार्च 2015 मे प्रारम्भ हुई।

चूंकि श्री भरोसी लाल बर्थवाल द्वारा दिनांक 21.02.2015 को कार्यभार ग्रहण किया गया एवं 26.02.2015 को सत्रांत लाभ हेतु आवेदन किया गया इस अवधि मे उनके द्वारा केवल दो दिन हिन्दी विषय का अध्यापन किया गया उसके बाद वार्षिक गृह परीक्षाये एवं बोर्ड परीक्षाये प्रारम्भ हो गयी साथ ही साथ यहा यह भी तथ्य सामने आया की श्री भरोसी लाल बर्थवाल द्वारा अपने पूरे सेवाकाल मे कभी भी हिन्दी का अध्यापन नहीं किया गया क्योंकि सेवाकाल के प्रारम्भ मे वह सामान्य विषय (सामाजिक विज्ञान) के अध्यापक नियुक्त हुए एवं तदुपरान्त प्रवक्ता अंग्रेजी के रूप मे पदोन्नति प्राप्त कर अँग्रेजी विषय के अध्यापक/प्रवक्ता के रूप मे कार्यरत थे न कि हिन्दी विषय के एवं प्रधानाध्यापक से पूर्व वे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान मे विगत 10 वर्षो से संदर्भदाता थे जिस कारण वो विद्यालयी शिक्षा मे अध्यापन नहीं कर रहे थे।

श्री भरोसी लाल बर्थवाल द्वारा हिन्दी विषय के अध्यापन मे संलग्न होना बताकर सत्रांत लाभ पाया गया है जो कि नियम विरूद्ध है एवं अनुचित है क्योंकि

1. वह हिन्दी विषय (संवर्ग) के अध्यापक नहीं थे अतः उन्हे हिन्दी विषय हेतु सत्रांत लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि उनका मौलिक विषय अँग्रेजी था।
2. उनके द्वारा केवल दो दिन अध्यापन किया गया दिनांक 21.2.2015 एवं 23.2.2015 जो कि उस विषय के अध्यापन की निरंतर संलग्नता के मानदंड को पूर्ण नहीं करता

3. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर मे प्रधानाध्यापक का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री बर्थवाल, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहारादून मे संदर्भदाता थे न कि किसी विद्यालय मे अध्यापक के रूप मे।

इस ओर इकाई का ध्यान आकृष्ट करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि श्री भरोसी लाल बर्थवाल द्वारा स्वयं आवेदन को अग्रसारित कर स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया और सत्रांत लाभ पाया जो कि अभिलेखो से प्रमाणित है ।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि श्री भरोसी लाल बर्थवाल तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत हित हेतु न की छात्र हित हेतु, अनुचित और नियम विरूद्ध तरीके से सत्रांत लाभ हेतु आवेदन कर सत्रांत लाभ पाया गया । साथ ही साथ सत्रांत लाभ अनुमन्य करने वाले सक्षम प्राधिकारियो/विभाग की घोर लापरवाही एवं शिथिलता से भी इंकार नहीं किया जा सकता जिस कारण उनको सत्रांत तक कि अवधि मे किए हुए समस्त भुगतान धनराशि रुपए 5,78,400/-(माह अगस्त 2015 से अप्रैल 2016 तक किया गया भुगतान) (अगस्त से दिसम्बर 2015 तक=3,35,700 एवं जनवरी 2016 से मार्च 2016 तक=2,42,700) तथा सत्रांत तक कि अवधि को सेवानिवृतिक लाभो कि गणना मे प्रयुक्त करते हुए किए गए सभी सेवानिवृतिक लाभों हेतु किए भुगतान धनराशि रुपए 4,49,666/- अनियमित एवं अनुचित है।

अतः अपात्र को नियम विरूद्ध अनुचित लाभ प्रदान कर धनराशि रुपए 10.28 लाख की शासकीय क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है

भाग-तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाध्यापक रा उ मा विद्यालय रुद्रपुर देहारादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री गणनाथ मनोडी	प्रधानाध्यापक	18.05.2013	12.01.2015
2.	श्री मुकेश पल तोमर	प्रधानाध्यापक प्रभारी	13.01.2015	20.02.2015
3.	श्री भरोशी लाल बर्थवाल	प्रधानाध्यापक	21.02.2015	31.03.2016
4.	श्री मुकेश पाल तोमर	प्रधानाध्यापक प्रभारी	1.04.2016	09.09.2016
5.	श्री मँगत सिंह नेगी	प्रधानाध्यापक	10.09.2016	31.03.2017
6.	श्री जय प्रकाश मिश्र	प्रधानाध्यापक प्रभारी	01.04.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाध्यापक रा उ मा विद्यालय रुद्रपुर देहारादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र